

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता

विभाजन  
डिक्री

दिनांक :- 09/12/25

वादीगण की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री सुनिल सहू अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर. ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88 के

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

क). वादी व प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त भूमि - चक 4 एलकेएस बी के खाता संख्या 40/44 के प.न. 10/276 मु.न. 34 के किला न. 1,2/1,9/2, 10, 11, 12/1, 21, 22, 23, 24, 25 इस प्रकार कुल 2.530 है. नहरी अनकमाण्ड कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। रकम राज अलग कायम की जावे।

ख). शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की चक 4 एलकेएस बी के खाता संख्या 40/44 के प.न. 10/276 मु.न. 34 किला न. 19/2/.175 , 20/.253 है. कुल .428 है. खातेदारी कृषि भूमि का खाता विभाजन कर रकमराज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड जज कलकत्ता एच.ए.ए.  
पंचेपासद अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा

